रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1990/चैत्र 12, 1912
No. 145] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1990/CHAITRA 12, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1990

सं० 101/90-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 433(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 175/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 और 2 में, शब्दों "रुपए साठ लाख", जहां वे आते हैं, के स्थान पर शब्द "रुपए पच्चपन लाख" रखे जाएंगे।

[फा. सं. बी-30/1/90-टी.आर.यू.]
आर. के. महाजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 1990

NO. 101|90-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 175|86-Central Excises, dated the 1st March, 1986, namely :—

In the said notification, in paragraphs 1 and 2, for the words "rupees sixty lakhs", wherever they occur, the words "rupees fifty five lakhs" shall be substituted.

[F. No. B-30|1|90-TRU]
R. K. MAHAJAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064